न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –04/2025 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2025/19

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

सन्टू राजा पुत्र आजाद हुंसैन, निवासी पुलिस चौकी खैराबाद के सामने स्थित गली में खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थीगण.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा), तथा 3 नोजल व एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 29 .07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग की रोकथाम अभियान के तहत दिनांक 27.12.2024 को जांच दल में सम्मिलित अदिति जगरवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री राहुल मीणा, जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) एवं श्री कृष्ण कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 7.10.2024 से घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु रामगंजमण्डी क्षेत्र में पुलिस चौकी खैराबाद के सामने स्थित गली में स्थित सन्टू राजा पुत्र आजाद हुंसेन के गैराज पर पहुंचे । मौके पर श्री सन्टू राजा पुत्र आजाद हुंसेन उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच का कार्य सम्पादित किया गया । परिसर का अवलोकन करने पर 09 घरेलू लाल रंग के गैस सिलेण्डर व 3 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन रखे पाये गये । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों तथा गैस रिफलिंग मशीन के संबंध में गैराज मालिक सन्टू राजा से घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि 50/– की दर से वाहनों में घरेलू गैस सिलेण्डरों से एल पी जी गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों से सम्बन्धित कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है । इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैध लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया । मौके पर 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों व 3 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को जब्त सरकार किया गया । जिनका कुल अनुमानित मूल्य 23590/– है । जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है :–

जिला कलक्टर
कोटा

क.सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्ध गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	HPCL	306018	14.2	15.8	29.9	14.1	घरेलू
2	HPCL	152157	14.2	15.8	29.9	14.1	घरेलू
3	HPCL	176834	14.2	16.0	29.9	13.6	घरेलू
4	HPCL	Not visible	14.2	16.0	30.0	14.0	घरेलू
5	HPCL	795594	14.2	15.8	19.6	3.8	घरेलू
6	IOCL	417813	14.2	15.8	15.8	Nil	घरेलू
7	IOCL	157456	14.2	15.6	15.6	Nil	घरेलू
8	IOCL	707298	14.2	15.6	15.6	Nil	घरेलू
9	IOCL	375355	14.2	15.9	15.9	Nil	घरेलू
03 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन							

इस प्रकार रामगंजमण्डी क्षेत्र में पुलिस चौकी खैराबाद के सामने स्थित गली में स्थित गैराज के मालिक सन्टू राजा पुत्र आजाद हुसेन के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3 (1) (ए) (बी) व (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों व 3 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को जब्त कर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर फलौदी एच पी गैस एजेंसी कोटा के प्रतिनिधि श्री धर्मेश अहीर निवासी जुल्मी को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों व 3 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित तथा अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एम. एस. सिद्दिकी का वकालतनामा पेश हुआ, किन्तु वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर स्वयं अप्रार्थी द्वारा ही जवाब पेश किया तथा जवाब ही बहस मानने हेतु अप्रार्थी ने निवेदन किया जो पत्रावली शामिल है । पेरोकार रसद की बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि रामगंजमण्डी क्षेत्र में पुलिस चौकी खैराबाद के सामने स्थित गली में स्थित गैराज के मालिक सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य कर व्यावसायिक उपयोग जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3 (1) (ए) (बी) व (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों व 3 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात करना फरमावें ।
4. वकील अप्रार्थी ने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस बिल्कुल गलत है, प्रार्थी न तो गैस सिलेण्डर का व्यवसाय करता है ना ही गैस भरने का कार्य करता है । प्रार्थी मेकेनिक का कार्य करता है, उसका सर्विस गैराज खैराबाद वार्ड नं0 7 मैन रोड पर स्थित है, उक्त दुकान मे सारे मैकेनिक के सामान होते है तथा कबाड़ का कार्य भी करता है जिसमें हर प्रकार के लोहे आदि के सामान आते रहते है जिनके उक्त तथा कथित जो गैस निकालने की मशीन बताई गई है वह भी कबाडे की थी तथा लोहे लक्कड के भाव में बेची जानी थी । जिसको गलत रूप से प्रार्थी की मानकर जब्त किया गया है । जिस समय रसद विभाग के अधिकारी मौके पर आये उस वक्त प्रार्थी के गैराज के पास गैस सिलेण्डर सप्लाई की गाडी आई हुई थी जिसमें सिलेण्डर भरे हुये थे, तथा उक्त सिलेण्डरों को गांव में सप्लाई करने हेतु नीचे उतार कर प्रार्थी के गैराज के सामने रखा हुआ था उक्त 9 सिलेण्डरों को प्रार्थी के सिलेण्डर

मानकर जप्त किये गये है जबकि उक्त सिलेण्डरों को जब्त किया गया है अन्य ग्राहकों के है जिनको सप्लाई किया जाना था जिनके नामों की सूची व डायरी जवाब के साथ पेश है । इस प्रकार प्रार्थी को गलत रूप से उक्त जप्तशुदा सिलेण्डरों को उसका होना माना है वह गलत है, उक्त सिलेण्डरों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है । प्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से गैस निकालने व गैस अन्य सिलेण्डर वाहनों में भरने बावत कोई फोटो भी या विडियों पूरी पत्रावली में नहीं है । इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है । प्रार्थी के विरूद्व महज शक के आधार पर प्रकरण बनाया गया है । प्रार्थी को डरा धमका कर सिलेण्डरों के साथ बाहर बुलाकर फोटो खिंचाये जबकि प्रार्थी का उक्त सिलेण्डरों से कोई वास्ता ही नहीं है । रसद विभाग द्वारा यह बताया है कि प्रार्थी गाडियो में गैस भरने के लिये 50/— प्राप्त करता है परन्तु पूरी पत्रावली रसद विभाग द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी गैस भरने का कार्य 50/— में करता हो ओर ना ही उसकी गैस भरने की कोई रसीद शामिल पत्रावली है । प्रार्थी को गलत रूप से उक्त केस में लिप्त किया गया है जबकि प्रार्थी का उक्त जप्त सिलेण्डरों से कोई वास्ता नहीं है । अतः प्रार्थी के विरूद्व खोली गई उपरोक्त कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश फरमाया जावें ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि रामगंजमण्डी क्षैत्र में पुलिस चौकी खैराबाद के सामने स्थित गली में स्थित गैराज के मालिक सन्टू राजा पुत्र आजाद हुंसेन के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य कर व्यावसायिक उपयोग जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3 (1) (ए) (बी) व (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों व 3 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात करने के आदेश चाहे गये है । अप्रार्थी ने अपने जवाव में कथन किया है कि उनके गैराज का कार्य है तथा गैराज के पास गैस सिलेण्डर सप्लाई की गाडी आई थी, जिसमें सिलेण्डर भरे हुये थे तथा उक्त सिलेण्डरों को गांव में सप्लाई करने हेतु नीचे उतार कर प्रार्थी के गैराज के सामने रखा हुआ था, उक्त सिलेण्डर ग्राहकों के होना बताया है जिनके नामों की सूची व डायरियों की फोटो प्रति जवाब के साथ संलग्न होना अंकित किया है किन्तु कोई फोटो प्रति व सूची संलग्न नहीं की है, ओर ना ही अब तक पत्रावली में पेश की है । अप्रार्थी द्वारा गैस रिफलिंग कर वाहनों में भरने के आरोप का खण्डन करते हुए अस्वीकार किया है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है अपितु रसद विभाग की टीम द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों के साथ तीन नोजल जो गैस रिफलिंग के काम आते है व एक गैस रिफलिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली मशीन को भी जब्त किया है । इस प्रकार नोजल एवं गैस रिफलिंग मशीन के जप्ती से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों से एलपीजी गैस वाहनों में रिफलिंग की जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3 (1) (ए) (बी) व (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों व 3 नोजल तथा एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात योग्य पाते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 09 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर, 03 नोजल एवं एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात (Confiscate किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा